

मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर

पत्रांक: 143/2011

/ चार (भ0 नियंत्रण) 20

दिनांक 19.10.2011

श्री / श्रीमती / मै० अंसरी शारदा बालाजी क-सौदागर
कौ-7, लिफ्ट-36, नोयडा

आपके पत्र दिनांक 08/10/2011

मानचित्र सं० 143/2011

के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित

तकपल गाँव की भवन निर्माण की मौहल्ला / कॉलोनी / ग्राम वीरपुर-बालाजी क-सौदागर भूखण्ड / भवन

सं० 9 पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र सलंगन है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
3. जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
4. उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपयुक्त नहीं होगा वहां प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय को विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. स्वीकृत मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कराया जायेगा।
7. आप भवन उप नियमों के नियम 21 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
8. निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप-नियमों प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण / पत्र प्राप्त करेंगे।
10. प्राधिकरण के अध्यासन (औकूपेन्सी) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (ओकूपपायी) करेंगे।

11- मानचित्र अंकित 01 से 17 तक सभी शर्तों का पालन करना होगा।
 इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

12- नियमसंगत वृद्धारोपण करना होगा।
 सलंगनक :- स्वीकृत मानचित्र की प्रति।

प्रतिलिपि :- अवर अभियन्ता पी.धर्मवीर सिंह

उपाध्यक्ष महोदय की स्वीकृति दिनांक

5-9-16 के अनुपालन में दिनांक 19-10-16

से दिनांक 18-10-19 (3 वर्ष) के लिए

स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

प्राधिकारी

सचिव / उपाध्यक्ष

मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण



अवर अभियन्ता पी.धर्मवीर सिंह
 दिनांक 19/10/2011
 मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण

